

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

दिनांक : 12.06.2021

सं0फा0 1(571)/डीडीएमए (मुख्यालय) डीडीएमए आदेशों/विविध मामले/21/438

आदेश

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोहस्ताक्षरी, अध्यक्ष के रूप में राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा निर्देशित करते हैं कि दिनांक 06.5.2021 के डीडीएमए के आदेश संख्या 411 के साथ पठित दिनांक 19.8.2021 के आदेश संख्या 424 जो कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों से एयरलाइंस/ट्रेनों/बसों/कारों/ट्रको या परिवहन के किसी अन्य साधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आने वाले व्यक्तियों की यात्रा पर लागू प्रतिबंधों के संबंध में था, को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

सभी जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त तथा सभी संबंधित प्राधिकारी इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा क्षेत्राधिकारियों को इन निर्देशों के सख्ती से अक्षरशः अनुपालन के लिए पर्याप्त रूप से सूचित एवं सचेत करेंगे।

हस्ता0/—

(विजय देव)

मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :-

1. कोविड-19 हेतु राज्य नोडल अधिकारी (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना)
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. प्रधान सचिव (राजस्व) सह-मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. प्रधान सचिव (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।
8. आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के राज्य भवन के आवासीय आयुक्त।
9. सचिव (आई एंड पी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में व्यापक प्रचार हेतु।
10. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
12. समस्त जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

3. सचिव, माननीय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. भारत सरकार के केन्द्रीय सचिव के स्टाफ अधिकारी।
10. विशेष सचिव (यूटी), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
11. आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव।
12. अध्यक्ष, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, भारत सरकार।
13. महानिदेशक, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, भारत सरकार
14. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार
15. महाप्रबंधक, उत्तरी रेलवे, भारत सरकार।
16. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
17. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा)/राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
18. अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
19. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
20. राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के समस्त सदस्य।
21. सिरस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त कार्यालय, दिल्ली, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
22. गार्ड फाइल।